"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 173] रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 जुलाई 2012—आषाढ़ 20, शक 1934

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2012

अधिसूचना

क्रमांक/3189/एफ-04/01/2010/14-2.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1960 (क्र. 19 सन् 1960) के अधीन जारी, राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक/डी-15/18/89/14-3, भोपाल दिनांक 29-01-1990 द्वारा तत्कालीन बस्तर जिले (वर्तमान-बीजापुर) के अंतर्गत तत्कालीन विकासखंड भोपालपट्टनम एवं उसूर के वन ग्रामों सहित मंडी क्षेत्र को समाविष्ट करते हुए, भोपालपट्टनम में मंडी विनियमित की गई, जो इसमें इसके पश्चात् "भोपालपट्टनम मंडी के अधिसूचित मंडी क्षेत्र" के रूप में निर्दिष्ट है.

यतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खंड (चार) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने भोपालपट्टनम मंडी को बंद करने के लिये, अधिसूचना क्रमांक/2585/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर दिनांक 07-07-2011 जारी करते हुए, इसके आशय को संसूचित किया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निर्देश देती है कि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से बीजापुर जिले की भोपालपट्टनम मंडी को बंद किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2012

क्रमांक/3189/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3189/एफ-04/01/2010/14-2 दिनांक 10-07-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 10th July 2012

NOTIFICATION

No./3189/F-04/01/2010/14-2.—The State Government vide Notification No./D-15/18/89/14-3, Bhopal dated 29-01-1990, issued under the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1960 (No. 19 of 1960), regulated the market at Bhopalpattanam, having market area comprising of the then, Development block Bhopalpattanam and Usur including Forest villages under the then Bastar District (Presently Bijapur), hereafter refer to as "the notified market area of Bhopalpattanam Mandi."

Whereas, by issuance of notification vide No./2585/F-04/01/2010/14-2, Raipur 07-07-2011, the State Government, by exercise the powers conferred under clause (iv) of sub-section (2) of Section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), had signified its intention to disestablished the market of Bhopalpattanam.

Now, therefore in exercise of the power conferred by clause (d) of sub-section (2) of Section 71 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, direct that with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette, the Bhopalpattanam Mandi of Bijapur District shall be disestablish.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2012

अधिसूचना

क्रमांक/3191/एफ-04/01/2010/14-2.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1960 (क्र. 19 सन् 1960) के उपबंधों के अधीन जारी राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. 2493-8955/14-1, भोपाल, दिनांक 28-04-1969, तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचना क्र. डी-11/84/14-3 (13), भोपाल, दिनांक 06-09-1985 एवं पुन: संशोधित अधिसूचना क्र./डी-11/84/95/14-3, भोपाल, दिनांक 23-12-1995 द्वारा, बस्तर जिले (वर्तमान नारायणपुर जिले) के नारायणपुर एवं ओरछा तहसील के मण्डी क्षेत्र तथा कांकेर जिले के पखांजूर एवं अंतागढ़ के मण्डी क्षेत्र को समाविष्ट करते हुए, नारायणपुर में मण्डी विनियमित की गई, जो इसमें इसके पश्चात् "नारायणपुर के अधिसूचित मंडी क्षेत्र", के रूप में निर्दिष्ट है.

यत:, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप-धारा (1) के खंड (तीन) के अधीन

प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने अधिसूचना क्र. 2845/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर, दिनांक 23-07-2011 जारी करते हुए, अधिसूचित नारायणपुर मण्डी क्षेत्र जो कि ऊपर उल्लिखित है, में से कांकेर जिले के पखांजूर एवं अंतागढ़ तहसील को विभाजित करते हुए तथा नारायणपुर के नारायणपुर एवं ओरछा तहसील के संपूर्ण वनग्रामों सहित समस्त क्षेत्रों को समाविष्ट करने के लिए, नारायणपुर मण्डी के मंडी क्षेत्र में संशोधन करने के आशय को संसूचित किया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 71 की उप-धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निर्देश देती है कि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नारायणपुर जिले के नारायणपुर एवं ओरछा तहसील के संपूर्ण वनग्रामों सहित समस्त क्षेत्रों को "नारायणपुर मण्डी के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र" के रूप में घोषित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2012

क्रमांक/3191/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3191/एफ-04/01/2010/14-2 दिनांक 10-07-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 10th July 2012

NOTIFICATION

No./3191/F-04/01/2010/14-2.—The State Government vide Notification No./2493-8955/14-1, Bhopal, dated 28-04-1969, thereafter amended Notification No./D-11/84/14-3(13), Bhopal, dated 06-09-1985 and again amended Notification No./D-11/84/95/14-3, Bhopal, dated 23-12-1995 isssued under the provision of the Madhya Pradesh Krish Upaj Mandi Adhiniyam, 1960 (No. 19 of 1960), regulated the market at Narayanpur having market area comprising of Narayanpur and Orachha Tahsil of the Bastar District (presently Narayanpur) and mandi area of Pakhanjur and Antagarh of Kanker District, hereafter rererred to as "the notified market area of Narayanpur Mandi."

Whereas, by issuance of notification No./2845/F-04/01/2010/14-2, Raipur, dated 23-07-2011, the State Government, by exercising power conferred under clause (iii) of sub-section (1) of section 70 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), had signified its intention to split up the Pakhanjur and Antagarh Tahsil of Kanker district therefrom notified Narayanpur Mandi area mentioned above and to amend the market area of Narayanpur mandi comprising of complete area of Narayanpur and Orachha Tahsil inclusive of all forest villages of Narayanpur District.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 71 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, directs that with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette complete area inclusive of all forest villages of Tahsil Narayanpur and Orachha of Narayanpur district, shall be declared as "the notified market area of Narayanpur Mandi."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.